



भागलपुर समाहरणालय

(जिला प्रोग्राम शाखा, ICDS)



समेकित बाल विकास सेवॉए (आई0सी0डी0एस0) भागलपुर अंतर्गत अनुबंध के आधार पर ऑगनवाड़ी सेविका से महिला पर्यवेक्षिका के नियोजन संबंधी विज्ञापन।

विज्ञापन संख्या-01/2025

सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है, कि भागलपुर जिले में समेकित बाल विकास सेवाएं (ऑगनवाड़ी सेवाएँ) अंतर्गत ऑगनवाड़ी सेविकाओं से महिला पर्यवेक्षिका के 26 रिक्त पदों पर अनुबंध के आधार पर नियोजन हेतु विभागीय मार्गदर्शिका ज्ञापांक-1846 दिनांक 10.06.2010 एवं संशोधित पत्र पत्रांक-5994 दिनांक-31.12.2018 एवं अन्य पत्रों से प्राप्त मार्गनिर्देशों के आलोक में भागलपुर जिला में कार्यरत इच्छुक ऑगनवाड़ी सेविकाओं से ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

निदेशक, आई0सी0डी0एस निदेशालय, बिहार, पटना के पत्रांक-1209 दिनांक-14.02.2025 के द्वारा ऑगनवाड़ी सेविका से महिला पर्यवेक्षिका के पद पर नियोजन हेतु ऑनलाईन पोर्टल का लिंक <http://125.16.175.140:88/VacancyList.aspx> पर अपना पंजीकरण कर ऑनलाईन आवेदन समर्पित कर सकेंगी। नियोजन हेतु जिले में रिक्ति से संबंधित विस्तृत सूचना एवं ऑनलाईन आवेदन किए जाने की प्रक्रिया (User Guideline) के रूप में भी भागलपुर जिले के अधिकारीक वेबसाईट https://bhagalpur.nic.in/notice_category/recruitment पर प्रदर्शित है एवं जिला प्रोग्राम कार्यालय आई0सी0डी0एस0, समाहरणालय, भागलपुर के सूचना पट्ट पर देखा जा सकता है।

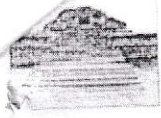
1. भागलपुर जिले में रिक्त 26 पदों पर नियोजन हेतु कोटिवार विवरणी निम्न प्रकार है:-

क्रमांक	आरक्षण कोटि	रिक्ति की संख्या
01	गैर आरक्षित	10
02	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	05
03	पिछड़ा वर्ग	04
04	अनुसूचित जाति	04
05	अनुसूचित जनजाति	01
06	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	02
कुल:-		26

2. रिक्त पदों पर नियोजन हेतु ऑनलाईन आवेदन समर्पित करने की समय-सीमा निम्नवत है:-

ऑनलाईन आवेदन प्राप्ति की तिथि 04-05-25 से 25-05-25 तक के संध्या 5:00 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे। (दिनांक-25-05-25 के संध्या 5:00 बजे के बाद प्राप्त आवेदन स्वीकार्य नहीं किये जायेंगे)

3. आवेदिका द्वारा पूर्णतः भरे हुए ऑनलाईन आवेदन प्रिन्टआउट की एक प्रति सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों के साथ निबंधित डाक से जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0 समाहरणालय, भागलपुर पिन कोड-812001 के पते पर अनिवार्य रूप से प्राप्त होनी चाहिए। लिफाफे के उपर बाँयी ओर ऑगनवाड़ी सेविका से महिला पर्यवेक्षिका पद हेतु आवेदन लिखना आवश्यक है। आवेदन हाथो-हाथ स्वीकार नहीं किये जायेंगे। बिना ऑनलाईन आवेदन अथवा निर्धारित समय-सीमा के बाद प्राप्त आवेदन विचारणीय नहीं



भागलपुर समाहरणालय

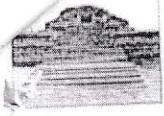
(जिला प्रोग्राम शाखा, ICDS)



होंगे। आवेदन की एक प्रति अपने पास अवश्य सुरक्षित रख लेंगी। साथ ही अंडरटेकिंग देना अनिवार्य होगा की वे नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करेंगी। निबंधित डाक विज्ञापन की तिथि के अगले दिन से 21 दिनों के अन्दर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0 भागलपुर को कार्यालय अवधि में प्राप्त हो जाना चाहिए। बाद में प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा। ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के उपरांत आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रमाण की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर भेजना अनिवार्य होगा:-

- i. मैट्रिक परीक्षा के उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र।
(यदि हो तो इन्टर, स्नातक एवं स्नाकोत्तर परीक्षा के उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र)
 - ii. अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र।
 - iii. राजपत्रित पदाधिकारी, भागलपुर द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र।
 - iv. जाति प्रमाण पत्र आरक्षित वर्गों के लिए जो लागू हो, यथा-जाति प्रमाण पत्र, क्रीमीलीयर प्रमाण पत्र, अति पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के लिए अनिवार्य है।
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (सामान्य वर्ग हेतु) संबंधी प्रमाण पत्र।
 - v. अनुभव प्रमाण पत्र - अभ्यर्थी को संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, द्वारा निर्गत कार्य अनुभव का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा जिससे यह स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए कि अभ्यर्थी द्वारा कितने वर्षों तक सेविका के पद पर कार्य किया गया है।
 - vi. जिन आंगनवाड़ी सेविका का राष्ट्रीय पुरस्कार/राज्य पुरस्कार प्राप्त हुआ हो तो उससे संबंधित प्रमाण पत्र।
 - vii. अन्य प्रमाण पत्र जो लागू हो। (दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित प्रमाण पत्र)
4. आंगनवाड़ी सेविका से महिला पर्यवेक्षिका अनुबंध के पद पर नियोजन के संबंध में आवश्यक योग्यता।
- i. अभ्यर्थी केवल कार्यरत आंगनवाड़ी सेविका से हो।
 - ii. अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो।
 - iii. अभ्यर्थी भागलपुर जिला की स्थाई निवासी हो। इसके लिए अनुमंडल पदाधिकारी का आवासीय प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा।
 - iv. शैक्षणिक योग्यता:-
न्यूनतम योग्यता-मैट्रिक/समकक्ष उत्तीर्ण
 - v. चयन वर्ष की पहली जनवरी को 10 वर्ष का कार्यकाल होना चाहिए अर्थात्-01.01.2025 को 10 वर्ष की सेवा होनी चाहिए।
 - vi. उम्र सीमा-विज्ञापन वर्ष-2025 के पहली जनवरी को न्यूनतम उम्र 21 वर्ष एवं अधिकतम उम्र 45 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम उम्र सीमा में 11 वर्ष की छूट दी जायेगी।

अभ्यर्थी को इस आशय का अंडरटेकिंग देना अनिवार्य होगा कि वे नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करेंगे।



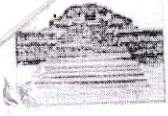
भागलपुर समाहरणालय

(जिला प्रोग्राम शाखा, ICDS)



5. वाछित सूचनाएँ:-

- i. शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त डिग्री को ही मान्यता दी जायेगी।
- ii. आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक ही प्राप्त शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र मान्य होंगे।
- iii. आंगनवाड़ी सेविका के रूप में कार्य करते हुए उच्चतर डिग्री प्राप्त करने हेतु विधिवत अनुमति प्राप्त की गई है तो आवेदिका को अनुमति प्राप्त करने का पत्र संलग्न करना होगा तभी उनके उच्चतर डिग्री का अंक जोड़ने पर विचार किया जाएगा।
- iv. मैट्रिक की परीक्षा के प्राप्तांकों का प्रतिशत निकालते समय अतिरिक्त (Extra) विषयों के अंको को नहीं जोड़ा जाएगा। मात्र अनिवार्य (Compulsory) एवं ऐच्छिक (Optional) विषयों को जोड़ा जाएगा।
- v. प्रत्येक अभ्यर्थी को उच्चतर परीक्षाओं (इंटर, स्नातक एवं स्नातकोत्तर) के लिए एवं राष्ट्रीय पुरस्कार/राज्य पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थियों को मार्गदर्शिका में निहित प्रावधान के आलोक में अतिरिक्त बोनस अंक दिए जायेंगे।
- vi. प्रत्येक अभ्यर्थी को 10 वर्ष की निरन्तर सेवा के लिए 10 अंक दिए जायेंगे। उसके पश्चात सेवा में प्रत्येक अनुवर्ती पूर्ण वर्ष के लिए 01-01 अंक, यह अंक केवल उसी अवधि के लिए देय होगी जिस अवधि के लिए मानदेय दिया गया हो।
- vii. विभिन्न श्रोतो से प्राप्त अंकों के कुल योग के आधार पर अंतिम योग्यता सूची तैयार कर आरक्षण कोटि के अनुसार जिलास्तररीय चयन समिति द्वारा अनुमोदनोपरांत रिक्त पदों के आलोक में सर्वाधिक मेधा अंक प्राप्त करने वाली सेविकाओं का नियोजन महिला पर्यवेक्षिका के पद पर की जाएगी।
- viii. यदि दो सेविकाओं को समान मेधा अंक प्राप्त होते हैं तो अधिक आयु वाली सेविका को ऊपर रखा जाएगा।
- ix. अनियमितता के आरोप में चयनमुक्त आंगनवाड़ी सेविका, महिला पर्यवेक्षिका के पद पर नियोजन हेतु अयोग्य होंगी।
- x. उप सचिव समाज कल्याण विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या-5543 दिनांक 04.10.2023 के आलोक में अनुबंध पर महिला पर्यवेक्षिका का नियत मानदेय/पारिश्रमिक 25000/- प्रतिमाह निर्धारित है। इसके अतिरिक्त 120 रुपया प्रति आंगनवाड़ी केन्द्र यात्रा भत्ता (अधिकतम 9000/- प्रतिमाह) निर्धारित है।
- xi. अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को सिविल सर्जन द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है।



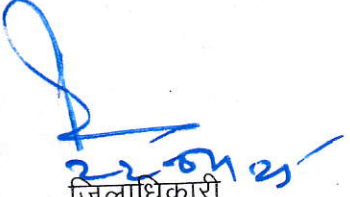
भागलपुर समाहरणालय

(जिला प्रोग्राम शाखा, ICDS)



“विज्ञापन एवं सेवा-शर्तों से संबंधित सभी अधिकार जिला पदाधिकारी भागलपुर के अधीन है। जिला पदाधिकारी, भागलपुर विज्ञापन को संशोधित/रद्द करने के लिए सर्वाधिकार धारित करते हैं।”

नोट:—संयुक्त सचिव, समाज कल्याण, बिहार, पटना के पत्रांक—4068 दिनांक—20.08.2024 के निदेशानुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में दायर SLP (C) में पारित आदेश के फलाफल से प्रवृत्त आरक्षण प्रावधान के तहत नियोजन प्रभावित होगी।
विस्तृत मार्गनिर्देश यथा—अहता/आवेदन देने की प्रक्रिया आदि संबंधित बाल विकास परियोजना कार्यालय/जिला प्रोग्राम कार्यालय, आई0सी0डी0एस, भागलपुर के सूचना पट्ट अथवा भागलपुर जिला के अधिकारिक वेबसाइट https://bhagalpur.nic.in/notice_category/recruitment/ पर देखा जा सकता है।


जिलाधिकारी
भागलपुर।



भागलपुर 01-05-2025



भागलपुर समाहर्णालय

(जिला प्रोग्राम शाखा, ICDS)

अनुबंध के आधार पर आंगनवाड़ी सेविका से महिला पर्यवेक्षिका के रिक्त पद पर नियोजन संबंधित सूचना

सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि जिले में समेकित बाल विकास सेवाएं (आंगनवाड़ी सेवाएं) अन्तर्गत आंगनवाड़ी सेविका से महिला पर्यवेक्षिका के पदों पर अनुबंध के आधार पर नियोजन हेतु विभागीय मार्गदर्शिका झापांक 1846 दिनांक 10.06.2010 एवं संशोधन पत्रांक 5994 दिनांक 31.12.2018 के आलोक में ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है। आंगनवाड़ी सेविका से महिला पर्यवेक्षिका के पद पर नियोजन हेतु ऑनलाईन आवेदन पोर्टल का लिंक <http://125.16.175.140:88/VacancyList.aspx> एवं <http://125.16.175.140:88/Default.aspx> पर अपना पंजीकरण कर अपना आवेदन समर्पित कर सकते हैं। ऑनलाईन आवेदन प्राप्त करने की तिथि दिनांक 04.05.2025 से 25.05.2025 तक निर्धारित की गई है। संबंधित आवेदिका दिनांक 25.05.2025 को संध्या 5:00 बजे तक ऑनलाईन आवेदन कर ऑनलाईन आवेदन का प्रिंट आउट के साथ अपने सभी कागजात जिला प्रोग्राम कार्यालय, आई0सी0डी0एस0, भागलपुर को स्पीड पोस्ट / रजिस्ट्री के माध्यम से भेजना सुनिश्चित करेंगे।

उक्त सूचना state.bihar.gov.in/prdbihar पर भी देखी जा सकती है।
PR- 002364 (SWD) 2025-26

जिला प्रोग्राम प्रदायिका,
भागलपुर

नशे से बचने का है एक ही उपचार, दृढ़ संकल्प और परिवार से प्यार

